612

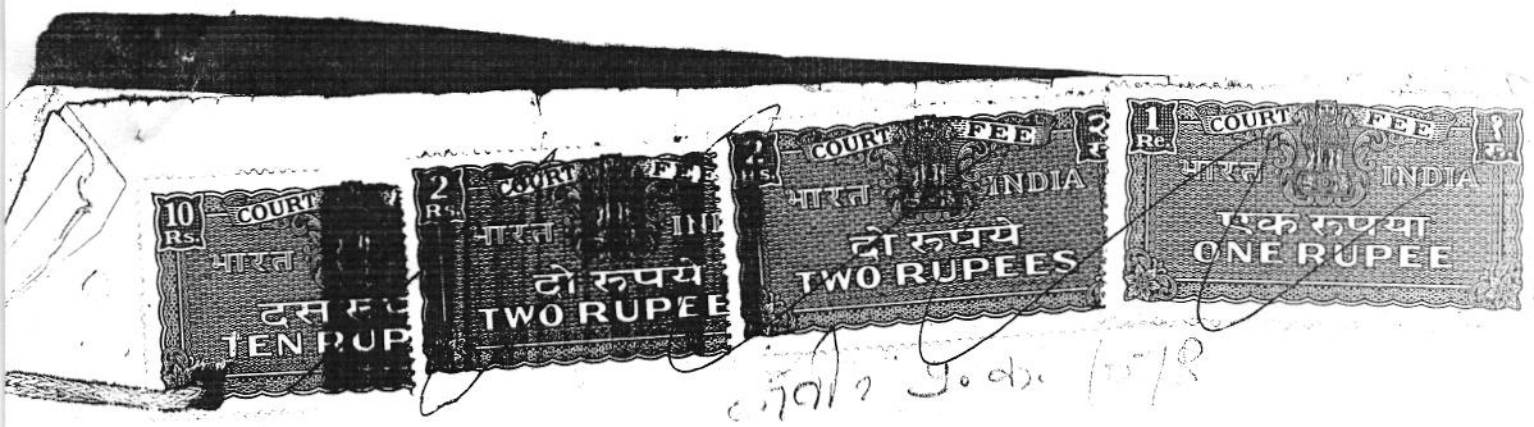

COURT FEE 10 Rs. भारत दस रुपये TEN RUPEES
COURT FEE 2 Rs. भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES
COURT FEE 2 Rs. भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES
COURT FEE 1 Re. भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

A+R -

R-1078-IV/2002

मानीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र0क्र0 /2002 निगरानी

नरेन्द्रसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपुत
निवासी आगर तहसील आगर जिला शाजापुर
----- अपीलान्ट

विरुद्ध

१- मध्यप्रदेश शासन

२- मांगु पिता धुलाजी जाति कुम्हार
निवासी ग्राम मल्लुपुरा तहसील बडौद
----- रेस्पाडेंट्स

श्री एन एस [illegible] अभि० मालक द्वारा दिनांक 23-4-02 को उपस्थित [illegible] प्रस्तुत।
23-4-02

माननीय अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रक्र0 २६४।१९९५-९६ अपील में पारित आदेश दि० २८-२-२००२ से असन्तुष्ट होकर के यह निगरानी संहिता की धारा ५० के तहत प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

अपीलान्ट की ओर से अपील निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यहकि माननीय अधिनस्थ न्यायालय का विवादित आदेश विधि एवं विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

२- यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर विचारण नहीं किया है कि तहसीलदार महोदय के व्दारा दि० २७-१-९६ का आदेश बिना कोई विधि की प्रक्रिया के पालन किये बिना ही पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य था परन्तु ऐसा न करने में अधिनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है।

३- यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर विचार ही नहीं किया है कि जब तहसीलदार ने सर्वे नं० ५४४ एवं उसका नया नम्बर [illegible]

K 1078-IV 102 कानपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-12-18	आवेदक अधि० श्री स० स० सिसोदिया उप० आवेदक अधि० द्वारा प्रकरण लोट प्रेस के समाप्त करने का निवेदन किया गया। आवेदक अधि० का निवेदन स्वीकार किया जाता है। प्रकरण ~~स्वी~~ स्व० या नोट प्रेस के समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। प्र० सचिव	पक्षकार नहीं अधिवक्ता 26.12